IAS GS World PCS
Committed To Excellence
विशिष्ट संपादकीय सारांश
12 जून 2023
द हिन्दू
पेपर- II (राजव्यवस्था)

गिरफ्तारी, एजेंसियां, और आपराधिक अदालतें

2024 में सुप्रीम कोर्ट ने दो महत्वपूर्ण फैसले सुनाते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि आपराधिक मामलों में आरोपी व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर इसका प्रभाव पड़ता है। पहले फैसले में कहा गया है कि कुछ आपराधिक मामलों में आरोप पत्र दाखिल करने से पहले आरोपी की हिरासत आवश्यक नहीं है । अगर निचली अदालतें इस फैसले में दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करती हैं, तो इससे जांच एजेंसियों को राहत मिलेगी।

दूसरा निर्णय अभियुक्त को गिरफ्तारी के आधार के बारे में लिखित रूप से सूचित करने से संबंधित है। यह संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत एक मौलिक अधिकार है। जबकि यह निर्णय विशेष कानूनों – अर्थात, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 और गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 के संदर्भ में दिया गया था – यह देखना प्रासंगिक होगा कि क्या इन निर्देशों को गिरफ्तारी के आधारों के संचार के संबंध में आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के प्रावधानों पर समान रूप से लागू किया जा सकता है।

आरोप पत्र दाखिल करना:

सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2021) में , सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अगर आरोपी जांच में सहयोग कर रहा है और अगर आरोपी को गिरफ्तार किए बिना जांच पूरी की जा सकती है, तो जांच अधिकारी (आईओ) के लिए आरोप पत्र दाखिल करने के समय आरोपी को हिरासत में पेश करना अनावश्यक है। कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 170 किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी पर आरोप पत्र दाखिल करने के समय प्रत्येक आरोपी को गिरफ्तार करने की बाध्यता नहीं डालती है। इसलिए, आपराधिक अदालतों के लिए आरोपी व्यक्ति को उनके सामने पेश किए बिना आरोप पत्र स्वीकार करने से इनकार करना कानून के तहत उचित नहीं है। कोर्ट ने आगे कहा कि अगर ऐसे किसी कारण से चार्जशीट स्वीकार नहीं की जाती है, तो सत्र न्यायाधीश का ध्यान इन तथ्यों की ओर आकर्षित किया जाना चाहिए और उचित आदेश दिया जाना चाहिए।

इसका तात्पर्य यह है कि जमानतीय मामलों में तथा उन गैर-जमानती मामलों में जिनमें जांच अधिकारी को लगता है कि आरोपी न तो फरार होगा और न ही सम्मन की अवहेलना करेगा, जांच अधिकारी को अदालत में आरोप पत्र दाखिल करते समय ऐसे आरोपी को हिरासत में पेश करने की कोई बाध्यता नहीं है।

हालांकि, वास्तविकता यह है कि जांच अधिकारी कभी-कभी आपराधिक अदालतों में आरोप पत्र दाखिल करने के लिए संघर्ष करते हैं। दंगों के मामलों में, जब बड़ी संख्या में आरोपी होते हैं और पुलिस द्वारा जमानत पर रिहा किया गया हर आरोपी आ. रोप पत्र दाखिल करने के समय मौजूद नहीं होता है, तो अदालत द्वारा आरोप पत्र स्वीकार नहीं किया जाता है। कभी-कभी, अदालतें एक दिन में मनमाने ढंग से तय की गई संख्या से अधिक मामलों की चार्जशीट या एक दिन में एक निश्चित समय के बाद स्वीकार नहीं करती हैं। जांच अधिकारी इन मुद्दों के बारे में सत्र न्यायाधीश से शिकायत करने से कतराते हैं क्योंकि यह जमीनी स्तर पर अन्य विविध कार्यों के लिए प्रतिकूल साबित हो सकता है। हालांकि सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का फैसला दो साल से अधिक समय पहले सुनाया गया था, लेकिन स्थिति में बहुत अधिक बदलाव नहीं हुआ है।

गिरफ्तारी का आधार:

पंकज बंसल बनाम भारत संघ और अन्य (2023) में , सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि गिरफ्तारी के आधार को अभियुक्त को स्वाभाविक रूप से और बिना किसी अपवाद के लिखित रूप में सूचित किया जाना चाहिए, ताकि पीएमएलए की धारा 19(1) के संवैधानिक और वैधानिक आदेश को सही अर्थ और उद्देश्य दिया जा सके। इसी तरह, हाल ही में प्रबीर पुरकायस्थ बनाम राज्य (दिल्ली के एनसीटी) में , न्यायालय ने बंसल (सुप्रा) मामले के अनुपात को दोहराया और माना कि गिरफ्तारी का प्रावधान, जहां तक गिरफ्तारी के आधारों की सूचना देने का संबंध है, यूएपीए के तहत समान है। न्यायालय ने माना कि शगिरफ्तारी के कारणश पूरी तरह से औपचारिक पैरामीटर हैं जो आमतौर पर किसी अपराध के आरोप में गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति पर लागू होते

हैं जबकि शगिरफ्तारी के आधारश हमेशा व्यक्तिगत होंगे और उनमें ऐसे विवरण शामिल होने चाहिए जो अभियुक्त की गिरफ्तारी को आवश्यक बनाते हैं।

महत्वपूर्ण बात यह है कि सीआरपीसी की धारा 50(1) में यह भी प्रावधान है कि षकिसी व्यक्ति को बिना वारंट के गि. रफ्तार करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति उसे तुरंत उस अपराध का पूरा विवरण बताएगा जिसके लिए उसे गिरफ्तार किया गया है या गिरफ्तारी के अन्य आधारष। इसलिए, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत दर्ज अपराधों के लिए भी, आरोपी को गिरफ्तारी के आधार के साथ-साथ मामले के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में सूचित किया जाना आवश्यक है। यह साबित करने की जिम्मेदारी अभियोजन पक्ष पर है कि वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

आईओ द्वारा तैयार किए गए गिरफ्तारी ज्ञापन में एक नोट है जिसमें लिखा है कि षगिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार और उसके कानूनी अधिकार के बारे में सूचित किए जाने के बाद विधिवत हिरासत में ले लिया गयाष। प्रत्येक आरोपी के लिए अलग से लिखे गए गिरफ्तारी ज्ञापन में अन्य बातों के साथ-साथ लागू अपराध की सभी धाराएँ, अपराध की तिथि, स्थान और समय और गिरफ्तारी की तिथि शामिल है, और इस पर आईओ द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। इस पर गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा भी प्रतिहस्ताक्षर किए गए हैं। हालाँकि, गिरफ्तारी के समय आरोपी व्यक्ति को इस ज्ञापन की एक प्रति प्रदान करने का कानून में कोई प्रावधान नहीं है। यह उन लोगों के लिए अधिक प्रासंगिक हो जाता है जिनका नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है।

न्यायालय ने कहा है कि गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में दिए जाने चाहिए ताकि आरोपी व्यक्ति कानूनी सलाह ले सके और जांच एजेंसी द्वारा मामले के स्पष्ट रूप से बताए गए तथ्यों के आधार पर जमानत मांग सके। यदि ऐसा है, तो बंसल मामले (सुप्रा) का अनुपात सीआरपीसी की धारा 50(1) पर समान रूप से लागू होना चाहिए, खासकर जब ऐसा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 22 से प्राप्त होता है। कानून में संशोधन करना और आरोपी व्यक्ति के प्रति संवैधानिक जनादेश को पूरा करने के लिए कुछ संशोधन के साथ गिरफ्तारी ज्ञापन की एक प्रति प्रदान करना उचित होगा।

प्रारंभिक परीक्षा के संभावित प्रश्न (Prelims Expected Question)

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2021) में, सुप्रीम कोर्ट ने अभियुक्त की हर मामले में तुरंत गिरफ्तारी को अनावश्यक कदम बताया।
2. पंकज बंसल बनाम भारत संघ और अन्य (2023) में, सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी के आधार को अभियुक्त को लिखित रूप में देने का निर्णय दिया।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

Que. Consider the following statements:

1. In Siddharth vs. State of Uttar Pradesh and Others (2021), the Supreme Court termed the immediate arrest of the accused in every case as an unnecessary step.
2. In Pankaj Bansal vs. Union of India and Others (2023), the Supreme Court ruled that the grounds of arrest should be given in writing to the accused.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1 (b) Only 2
(c) Both 1 and 2 (d) Neither 1 nor 2

उत्तर : C

मुख्य परीक्षा के संभावित प्रश्न व प्रारूप (Expected Question & Format)

प्रश्न: हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामलों में आरोपी की हिरासत को लेकर कौन से दो महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं? इन निर्णयों से आपराधिक मामलों में आरोपी व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चर्चा करें।

उत्तर का दृष्टिकोण :

- उत्तर के पहले भाग में मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामलों में आरोपी की हिरासत को लेकर दिए दो महत्वपूर्ण फैसलों की चर्चा करें।
- दूसरे भाग में इन निर्णयों से आपराधिक मामलों में आरोपी व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी भी चर्चा करें।
- अंत में अपने सुझाव देते हुए निष्कर्ष दें।

नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।